न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम,
विशेष न्यायाधीश,अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,(अत्याचार निवारण) अधिनियम. शामली।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1115/2026
नाजिम पुत्र टीटू निवासी अख्तियारपुर, धनौरा, जनपद अमरोहा।
.....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उ०प्र० राज्य ..... विपक्षी,
दिनांकः21.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **नाजिम पुत्र टीटू** की ओर से मु०अ०सं० 48/2026, धारा–136, 137 भारतीय विद्युत अधिनियम एवं धारा–303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०, थाना–बाबरी, जिला शामली में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जेल में निरूद्ध है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विमल कुमार मिश्र ने इस आशय की तहरीर दिया कि महोदय, 132 के0वी0 शामली – बुढ़ाना ।। लाईन के टावर सं 34 (CD+ 0) से 37 (B+ 0) के मध्य, निकट ग्राम – भाज्रु, जनपद शामली, थाना–बाबरी, शामली में दिनांक–17/04/2026 की रात को कुछ अज्ञात अराजक तत्वों ने टावरो के ऊपर खींचे हुये 2 तार, स्पैन 786 x 2 = 1572 मीटर लाईन के ऊपर से काटकर ले गये, जिससे टावर में लगी हुयी 104 नग इन्सुलेटर व अन्य सामग्री भी टूट गई है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है, कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। दौरान विवेचना गिरफ्तारी एवं फर्द बरामदगी दिनांकित 03.05.2026 के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि यह आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। यह कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसने कोई अपराध नही किया है। उसने ऐसा कोई अपराध कारित नही किया, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित किया गया है। उक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नही हुई है जो बरामदगी दिखायी गयी है वह कतई झूठी व फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस ने अपनी कारगुजारी दिखाने के लिये मुकदमा उपरोक्त में कतई झूठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई विधुत तारो की चोरी नही की है। प्रार्थी/अभियुक्त दिल्ली का रहने वाला है, उसके द्वारा शामली में आकर इस तरह की घटना कारित करना सम्भव नहीं है। उक्त अपराध में कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तो का पालन नहीं किया गया है। अब तक की गयी लिखा पढी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य किसी प्रकार का नहीं है और जो कहानी बनायी गयी है, वह मनघडन्त व बेबुनियाद है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नही है और न ही पूर्व अपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से जेल में निरूद्ध है तथा न्यायालय के आदेशानुसार उचित जमानत देने को तैयार है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है और उसका आपराधिक इतिहास भी है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में मु०अ०स० 48/2026, अंतर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी के सम्बंध में पंजीकृत करायी गया था। दौरान विवेचना अभियुक्तगण की गिरफ्तार एवं बरामदगी के आधार पर आवेदक का नाम प्रकाश में लाया गया है। फर्द बरामदगी दिनांकित 03.05.2026 के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त मौके से भाग जाना बताया गया है तथा सह अभियुक्त के बयान के आधार पर उसे प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का निम्न आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है–

क्र.सं.	**मु.अ.सं.**	**धारा-**	**थाना व जनपद**
1.	48/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०	थाना बाबरी, जनपद शामली।
2.	136/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०	थाना कांधला, जनपद शामली।
3.	41/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2) बी०एन०एस०	थाना गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली।
4.	135/2026	136, 137 विद्युत अधिनियम व 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०	थाना झिंझाना, जनपद शामली।
5.	---/2026	126, 135, 170 बी०एन०एस०	थाना धनौरा मण्डी, जनपद अमरोह

7. उक्त मुकदमों में अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धी नहीं दर्शायी गयी है तथा जिन मुकदमो का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, वे वर्ष 2026 के ही है। कथित अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप भी विरचित किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुण–दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार हैः–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्य राज्य का निवासी है, ऐसे में वह एक जमानती ऐसा प्रस्तुत करेगा, जो इस जनपद का निवासी हो अथवा उसके परिवाद का निकटतम सदस्य हो।
2. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
3. आवेदक /अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी०एन०एस०एस० की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी०एन०एस०एस० की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध धारा 269 बी०एन०एस० के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **नाजिम पुत्र टीटू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–(पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू (जिसमें से एक जमानती ऐसा होगा, जो इस जनपद का निवासी हो अथवा अभियुक्त के परिवार का निकटतम सदस्य हो) एवं उपरोक्त शर्तों की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–21.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम/एस०सी०/एस०टी० एक्ट, शामली।
J.O. Code–UP–1761